

भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद नीतिगत मुद्दों पर चिंतन*

शक्तिकांत दास

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के नवें संस्करण में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहां आना और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूपों पर अपने विचार रखना वास्तव में खुशी की बात है। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों, अर्थात् गुजरात सरकार, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष तथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

जैसा कि यहां सम्माननीय श्रोता जानते हैं, हाल के वर्षों में भारत विश्व की सर्वाधिक आकर्षक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। भारत ने हाल के वर्षों में न केवल अनेक वैश्विक आघातों को सफलतापूर्वक सहा है, बल्कि यह विश्व में सबसे तेज संवृद्धि वाली उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की सूची में शीर्ष स्थान पर है। आईएमएफ के डेटाबेस के अनुसार वैश्विक संवृद्धि में भारत का योगदान 2000 से 2008 के दौरान 7.6% से बढ़कर 2018 में 14.5% हो गया है। जहां तक मध्यावधि संभावना का संबंध है, बहुपक्षीय एजेंसियां इस बारे में और भी आशावादी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत की संवृद्धि गाथा को मजबूत घरेलू मूलभूत तत्वों का सहारा मिला है। उदाहरण के लिए (i) मुद्रास्फीति कम हुई है, (ii) केंद्र सरकार राजस्व संबंधी लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और (iii) चालू खाता घाटा (सीएडी) दबावग्रस्त अवधि (अर्थात् 2013 के मध्य की टेपर टॉक अवधि) के शीर्ष स्तर से बहुत कम है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल के वर्षों में घरेलू सुधारों की तेज गति को देखा है। इन सुधारों में अन्य बातों के साथ साथ मुद्रास्फीति के लचीले लक्ष्य वाली मौद्रिक नीति संरचना, दिवाला

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। दिनांक 18 जनवरी 2019 को इन्वेस्टर राउंड टेबल, 9वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में दिया गया व्याख्यान।

और ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा एफडीआई व्यवस्था को उदार बनाकर विदेशी निवेश बढ़ाना और एक सुचारू कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना शामिल हैं।

अब मैं इन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

मुद्रास्फीति

पहले मैं मुद्रास्फीति पर बात करना चाहूंगा। एक केंद्रीय बैंक का मूल अधिदेश अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता को बनाए रखना है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को कम बनाए रखने से घरेलू और वैश्विक निवेशकों में ज्यादा भरोसा पैदा होता है। भारत में 2012-13 से काफी अवस्फीति हुई है जिसमें सीपीआई मुद्रास्फीति 2012-13 के 10% के वार्षिक औसत से घटकर 2017-18 में 3.6% और 2018-19 में अब तक (अप्रैल) 3.7% रह गई है। अद्यतन स्थिति के अनुसार दिसंबर 2018 में हेड लाइन मुद्रास्फीति कम होकर 2.2% रह गई है। रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को क्रमबद्ध रूप से कम करने - जनवरी 2015 तक 8%, जनवरी 2016 तक 6% और 2017 की चौथी तिमाही तक 5% पर लाने की प्रतिबद्धता, जिसे मुद्रास्फीति का अनुसरण पथ कहा गया है, के कारण यह अवस्फीति हुई है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम में वैधानिक संशोधन, जिसमें संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कीमत स्थिरता को मौद्रिक नीति के मूल लक्ष्य के रूप में अधिदेशित किया गया है, के द्वारा लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य (एफआईटी) को औपचारिक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत सरकार द्वारा ± 2 प्रतिशत की छूट के दायरे के साथ 4 प्रतिशत के संख्यात्मक मुद्रास्फीति लक्ष्य के निर्धारण के अनुसार कीमत को परिभाषित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के औपचारिक रूप से गठन के साथ ही मौद्रिक नीति का निर्धारण समिति आधारित दृष्टिकोण में बदल गया। इससे निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ गई है।

भारत में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को अपनाने के बाद से मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य की सीमाओं के भीतर बनी हुई है। यहां मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हमारे मुद्रास्फीति के परिणामों में कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट भी लाभदायक रही है।

वित्तीय क्षेत्र

अब मैं हाल के वर्षों में घरेलू वित्तीय क्षेत्र की कुछ प्रमुख नीतिगत गतिविधियों पर चर्चा करूंगा।

बैंकिंग क्षेत्र

हम सब जानते हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। तथापि, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां आईं। बैंकों की अतिसंवेदनशीलता कम करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हाल ही में किए गए नीतिगत उपायों के कारण भारतीय बैंकिंग प्रणाली कायापलट के कगार पर है। इन संस्थाओं की आघात-सहनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामक और लेखांकन संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा हाल की अवधि में की जा रही पहलों का उद्देश्य दबावपूर्ण आस्तियों का बेहतर और समय पर निर्धारण, समुचित प्रावधानीकरण और कुशल समाधान प्रक्रिया बनाना है। अद्यतन पर्यवेक्षी आंकड़े बताते हैं कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के आरंभिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के अधिकतम पर पहुंचने के बाद सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात सुधर कर सितंबर 2018 में 10.8 प्रतिशत हुआ। रिजर्व बैंक के वर्तमान आकलन के अनुसार इस अनुपात में और सुधार होगा और मार्च 2019 तक यह 10.3 प्रतिशत हो जाएगा।¹

नया समाधान ढांचा बदलाव लाएगा, जिसकी धुरी दिवालिया और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) है और आरबीआई का विनियामक ढांचा सुकारक है। यह एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करता है, जिसमें आरंभिक दबाव की शीघ्र पहचान की सहायता से संकटग्रस्त आस्ति का अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सकेगा। आईबीसी फ्रेमवर्क में देनदारों का पक्ष शक्तिशाली हो जाने से तेज और निष्पक्ष समाधान प्रक्रिया की सुविधा होगी और इससे ऋण चुकौती संस्कृति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। यह ढांचा एक कॉर्पोरेट कर्जदार को बाजार-चालित, समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराता है, और इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं को उनके

तुलनपत्र लाभ की स्थिति में लाने में सहायता करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मौजूदा ऋण-संस्कृति में दर्शनीय बदलाव ला रहा है।

आईबीसी ढांचे में अब तक की प्रगति उत्साहजनक रही है और इसके अंतर्गत पहले की प्रणालियों की तुलना में बेहतर वसूली हुई है। दिनांक 03 जनवरी 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 66 मामलों में समाधान प्रक्रियाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें समाधान मूल्य के रूप में ऋणदाताओं की लगभग ₹800 बिलियन राशि शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सुदृढ़ता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि बैंकों के लाभप्रदता अनुपात और पूंजी स्थितियों में सुधार हुआ है। सितंबर 2018 के अंत में अन्य सुदृढ़ता संकेतक, जैसे टियर I लीवरेज अनुपात 6.7 प्रतिशत तथा चलनिधि कवरेज अनुपात 134.8 प्रतिशत रहा, जो न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षाओं से काफी ऊपर था। प्रावधान कवरेज अनुपात भी मार्च 2018 के अंत में 48.3 से बढ़ कर सितंबर 2018 के अंत में 52.4 प्रतिशत हो गया। बैंक ऋण हाल के वर्षों के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति से उबर रहे हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र को संसाधनों के प्रवाह में बैंकों की मध्यस्थता फिर से बढ़ रही है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली के बढ़ते हुए आकार और जटिलताओं के कारण बैंकों की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणालियों को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया है। हाल ही में हुई वित्तीय धोखाधड़ियों ने बैंकों में सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानकों के महत्व को और अधिक रेखांकित किया है। सरकार, बैंक बोर्ड ब्यूरो और रिजर्व बैंक फिलहाल कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ संरचना का विकास करने में लगे हुए हैं, और इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रूपरेखा को पुनर्परिभाषित किया जा सकेगा।

उपभोक्ता संरक्षण के मामले में शिकायत निवारण में सुधार, डिजिटल भुगतानों के लिए अभिनव उत्पादों की शुरुआत तथा बैंकिंग में साइबर सुरक्षा में सुधार के उपायों के कारण आशा है कि वित्तीय समावेशन में विस्तार होगा तथा वित्तीय सेवाएं कुशलता से और कम लागत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। रिजर्व बैंक इस तथ्य से वाकिफ है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली मजबूत होने से

¹ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दिसंबर 2018.

अनौपचारिक क्षेत्र को संस्थागत वित्त तक अधिक पहुंच मिलेगी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। हमने भुगतानों के डिजिटलाइजेशन में वृद्धि करने और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने के उपाय सुझाने के लिए हाल ही में श्री नंदन निलेकनी की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतानों को मजबूत करने पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

आरबीआई के विनियामक दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है, और रहेगा कि बैंकिंग प्रणाली इस अस्थायी कठिन दौर में मजबूत बनी रहती है और हमारी वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक मध्यस्थ की भूमिका निभाना जारी रखती है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की बैंकों के पूरक और प्रतिस्पर्धी के रूप में विशिष्ट स्थिति को देखते हुए, यह ऐसा अन्य क्षेत्र है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के संयुक्त तुलन-पत्र के लगभग 15 प्रतिशत आकार वाला यह क्षेत्र हाल के वर्षों में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जो वाणिज्यिक क्षेत्र को निधि का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराता है। फिर भी, हाल ही में इस क्षेत्र ने बहुत चुनौतीपूर्ण समय का सामना किया है।

एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी की ऋण चुकोती में हुई चूक के कारण इस क्षेत्र की अतिसंवेदनशीलता और सामान्यतः पर्यवेक्षी निगरानी, और विशेषतः आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एनबीएफसी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक चाहता है कि एनबीएफसी के एएलएम ढांचे को सुदृढ़ किया जाए तथा इसे एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों में सुसंगत बनाया जाए। हाल के संकट के मद्देनजर एनबीएफसी क्षेत्र की निधीयन तक अतिरिक्त पहुंच की अनुमति देने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी की ऋण-बहियों के प्रतिभूतीकरण के मानदंडों में छूट दी है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को जमाराशियां स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा जारी किए

गए बांडों पर आंशिक ऋण-वृद्धि उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इस उपाय के कारण बांडों की क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाएगी और कंपनियों को बेहतर शर्तों पर बाजार से निधियां उपलब्ध हो सकेंगी।

बाह्य क्षेत्र

कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने तथा वैश्विक मांग स्थितियों की अनिश्चितता के कारण व्यापार की शर्तों में हानि होने के बावजूद हाल की अवधि में भारत का बाह्य क्षेत्र मजबूत बना रहा। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2013-14 (अर्थात् टेपर टॉक के बाद की अवधि) से ही जीडीपी के 2 प्रतिशत से कम बना हुआ था, यद्यपि वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में यह बढ़ कर 2.7 प्रतिशत हो गया, जो कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों को दर्शाता है। हाल के वर्षों में चालू खाता में मामूली घाटे को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के मजबूत प्रवाह के द्वारा समायोजित किया गया। घरेलू पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्वाह के बावजूद मजबूत एफडीआई अंतर्वाहों और विदेशी मुद्रा रिजर्व बफर के निर्माण के कारण भारत को अपनी बाह्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिली।

कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाएं अपनी मौद्रिक नीति को सामान्य करने के पथ पर हैं, इसलिए वैश्विक पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन का कार्य भारत सहित ईएमई से दूर हो रहा है। एक अन्य कारक, जो भारत के बाह्य क्षेत्र के लिए हानिकारक है, वह है ब्रेक्जिट में हुई हाल की गतिविधियां। इसके परिणामस्वरूप भारत को नीतिगत चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि यूके और ईयू के साथ भारत के मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंध हैं। हम आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर सावधानी से विचार करेंगे और समुचित नीतिगत प्रतिक्रिया देंगे।

जहां तक बाह्य क्षेत्र संबंधी नीतिगत परिवेश का संबंध है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रीय मानदंडों को क्रमिक रूप से सरल किया गया है, और अब कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर सभी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। हाल के वर्षों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करके, विभिन्न प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बना कर, केंद्र सरकार से अनापत्ति प्राप्त

करने हेतु एकल विंडो के रूप में ई-बिज़ पोर्टल की शुरुआत करके तथा शासन को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एफडीआई नीति के सरलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमने दो दिन पहले ही कारोबार में आसानी के लिए भारतीय संस्थाओं द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधारों को शासित करने वाले विनियमों को भी काफी तर्कसंगत और उदार बनाया है। आने वाले वर्षों में इन सभी सुधारों और एक स्थिर घरेलू समष्टि आर्थिक परिवेश का पूर्ण प्रभाव दिखेगा और परिणाम प्राप्त होंगे। वास्तव में, 2017-18 में भारत में एफडीआई के अंतर्वाह यूएस\$ 61 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर थे।

इसके अतिरिक्त, जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात मार्च 2013 में 22.4 प्रतिशत से घट कर सितंबर 2018 के अंत में 20.8 प्रतिशत रह गया है। अन्य बाह्य संकेतक, जैसे आयात कवर और अल्पकालिक ऋण की तुलना में आरक्षित निधि अनुपात में भी 2013 के मध्य की टेपर टॉक अवधि, जब भारतीय रुपये पर अत्यंत दबाव था, की तुलना में सुधार आया है (सारणी)।

चुनौतियां और संभावनाएं

यह माना जाता है कि भारत मध्यम से दीर्घावधि में विश्व की सबसे तेज वृद्धि वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। कतिपय वैश्विक एजेंसियों के वृद्धि अनुमानों ने भारत को जी-20 अर्थव्यवस्थाओं के बीच शीर्ष रैंक दिया है। आईएमएफ और विश्व बैंक ने मध्यावधि में लगभग 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। यह संभावना है कि निवेश और निजी उपभोग द्वारा प्रेरित यह वृद्धि अब अधिक संधारणीय होगी। राष्ट्रीय लेखा

सारणी: बाह्य क्षेत्र संकेतक

(प्रतिशत, जब तक कि अन्यथा न दर्शाया जाए)

संकेतक	मार्च 2013 के अंत में	मार्च 2017 के अंत में	मार्च 2018 के अंत में	सितं. 2018 के अंत में
चालू खाता घाटा/जीडीपी अनुपात*	4.8	0.6	1.9	2.7**
बाह्य ऋण का जीडीपी से अनुपात	22.4	20.0	20.5	20.8
आरक्षित निधियों का कुल ऋण से अनुपात	71.3	78.5	80.2	78.5
आरक्षित निधियों का अल्पकालिक ऋण से अनुपात	33.1	23.8	24.1	26.1
आयातों का रिज़र्व कवर (महीनों की संख्या में)	7.0	11.3	10.9	9.5

*वित्त वर्ष के दौरान औसत; **: वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के लिए औसत

के अद्यतन अनुमान बताते हैं कि निवेश गतिविधियां 2017-18 के 7.6 प्रतिशत की तुलना में बढ़ कर 2018-19 के दौरान 12.2 प्रतिशत हो गई हैं। हाल के संरचनागत सुधारों के लाभ प्राप्त होने पर निवेश गतिविधि के और मजबूत होने की आशा है।

आगे बढ़ते हुए, सबसे ज्यादा प्राथमिकता घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने की होगी, विशेषतः ऐसे वैश्विक वातावरण में, जो अत्यधिक अनिश्चितता से घिरा है। वैश्विक वृद्धि, व्यापार और निवेश में गिरावट का जोखिम न केवल बढ़ा है, बल्कि उभरते हुए बाजारों पर उसका प्लवन प्रभाव भी बहुत गंभीर हो सकता है। अतएव, हमें आगे आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय बाजार में अचानक उथल-पुथल होने और घरेलू अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों द्वारा उसका सामना किए जाने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे वातावरण में, घरेलू समष्टि आर्थिक नीति संरचना की सहायता के लिए एक सुदृढ़ वित्तीय पर्यवेक्षण और विनियमन होना आवश्यक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में जिन प्रमुख नीतिगत चुनौतियों का सामना कर रही है, अब मैं उन पर चर्चा करूंगा।

(ए) मुद्रास्फीति

- हाल के वर्षों में हेडलाइन मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, इसके प्रमुख घटकों – खाद्य, ईंधन में मुद्रास्फीति और खाद्य और ईंधन को छोड़ कर मुद्रास्फीति – ने इस वर्ष काफी भिन्नता दर्शाई है। खाद्य स्फीति अक्तूबर 2018 से ऋणात्मक हो गई है, और ईंधन-स्फीति में अत्यधिक उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जबकि खाद्य और ईंधन को छोड़ कर मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत के आसपास स्थिर बनी हुई है। विभिन्न समूहों के बीच ऐसी अधिक भिन्नता के कारण मुद्रास्फीति के आकलन में समस्या होती है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्य वाली संरचना के अंतर्गत मुद्रास्फीति के उद्देश्यों और संवृद्धि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक नए डेटा का सावधानी से विश्लेषण करना आवश्यक है।

(बी) वित्तीय क्षेत्र

- नए समाधान ढांचे के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंकों की आस्ति गुणवत्ता तथा दबावपूर्ण आस्तियों के समाधान पर लगातार निगरानी रखना आवश्यक है। आस्ति गुणवत्ता में और गिरावट की रोकथाम सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
- यद्यपि प्रौद्योगिकी बैंकिंग क्षेत्र में संवृद्धि और नवोन्मेष के अवसर उपलब्ध कराती है, किंतु इसमें नई चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े होते हैं। साइबर जोखिम एक प्रमुख चुनौती है। व्यापक साइबर जोखिम और सुदृढ़ता नीतियां निर्माण करना और उनका सावधानी से क्रियान्वयन करना आवश्यक है।
- एक अन्य क्षेत्र, जहां नीतिगत कार्रवाई करना अपेक्षित है, वह है बैंकों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना।

(सी) बाह्य क्षेत्र

- हालांकि सकारात्मक नीति निर्धारण और समष्टि आर्थिक स्थिरता बने रहने से भारत की बाह्य अतिसंवेदनशीलता को रोकने में सहायता मिली है, फिर भी कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव और वित्तीय बाजारों की अस्थिरता को देखते हुए बाह्य क्षेत्र की गहन निगरानी करना आवश्यक है।

ये ऐसे दो वैश्विक आघात हैं, जिनका हमारे सीएडी और वित्तीय प्रवाहों पर प्रभाव पड़ेगा।

- भारतीय कंपनियों के सामने आ सकने वाली एक अन्य चुनौती ब्रेकिजट की गतिविधियों से संबंधित है। भारतीय कंपनियों और नीति-निर्माताओं को चाहिए कि वे सभी अवसरों और चुनौतियों पर गौर करें और तदनुसार उचित प्रतिसाद देने के लिए पुनः रणनीति तैयार करें।

अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि आरबीआई में हम संवृद्धि के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिदेशित कीमत स्थिरता बनाए रखने हेतु मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में; तथा बैंकिंग क्षेत्र और भुगतान प्रणालियों के विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वित्तीय स्थिरता बनाए रखने तथा संधारणीय और सुदृढ़ संवृद्धि के लिए योग्य स्थितियां बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

अक्तूबर 2018 में, जब मुझे कोई अंदाजा भी नहीं था कि मैं दिसंबर 2018 में आरबीआई में होऊंगा, मैंने यह ट्वीट किया था कि “मौजूदा स्थितियों में सभी देशों में केंद्रीय बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके सामने स्थिति को आजमाने और समझने, और अपनी बहुविध जिम्मेदारियों को निभाते हुए निर्णायक कदम उठाने की चुनौती है।” भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार काम करूं।

धन्यवाद।